न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05, आगरा।

CNR N0-UPAG01-010483-2015

सत्र परीक्षण संख्या–670 / 2015

राज्य..................बनाम........................सन्तोष कुमार

मु.अ.सं.–433 / 2007
धारा–307 भा.द.सं.
थाना– सदर बाजार, जिला आगरा।

<u>दिनांक : 30.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित है।

उल्लेखनीय है कि यह सत्र परीक्षण वाद अभियुक्त के सापेक्ष अन्तर्गत धारा–299 द.प्र. सं. प्रचालित है। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत है। बार बार पुकार पर अभियोजन की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नही है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन को प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है और ना ही साक्ष्य की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु कोई याचना ही गयी है। प्रकरण अत्यधिक प्राचीन है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन का साक्ष्य का अवसर किया जाता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण लंच बाद पेश हो।

ह0 / –
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–05, आगरा

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र नानाराम, निवासी राजकीय उन्नयन बस्ती, थाना कल्यानपुर, जिला कानपुर नगर के सापेक्ष द.प्र.सं. की धारा–299 के अन्तर्गत प्रचालित है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि की उपधारणा किये जाने का कोई सन्तोषप्रद आधार इस प्रक्रम पर नही है। मामले के तथ्य व परिस्थितियों में प्रकरण की कार्यवाही इस प्रक्रम पर रोकते हुये पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त स्थापना के आलोक में इस सत्र परीक्षण पत्रावली की कार्यवाही द.प्र.सं. की धारा–299 के अर्न्तगत नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए। यह पत्रावली विनिष्ट न की जाए। अभियुक्त सन्तोष कुमार के विरूद्ध स्थायी वारण्ट जारी हो। अभियुक्त सन्तोष कुमार के उपस्थित आने पर यह पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाए।

ह0 / –
(विराट कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–05, आगरा।
J.O. Code-UP01728